पर्सियन देवी और अन्य

बनाम

सुमित्री देवी और अन्य

14 अक्टूबर, 1997

[डॉ. ए. एस. आनंद और एस. राजेंद्र बाबू, जे.जे.]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 : आदेश 47 नियम 1.

पुनर्विलोकन - न्यायालय की शक्ति - पुनर्विलोकन के आधार - अपीलार्थी का निषेधाज्ञा के लिए दावा डिक्री - निष्पादन आवेदन - निर्णय देनदार द्वारा आपत्ति कि आवेदन को निष्पादन न्यायालय द्वारा समय बाधित किया गया था - निष्पादन न्यायालय के आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण में यह माना कि आवेदन समय बाधित नहीं था - निर्णय देनदार द्वारा पुनर्विलोकन - किसी भी "अभिलेख पर स्पष्ट त्रुटि" को इंगित किए बिना परीसीमा के प्रश्न पर आदेश की शुद्धता के लिए चुनौती - गुण के आधार पर विवादित आदेश को उलटने की अनुमति देने वाली पुनर्विलोकन याचिका - सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील- अभिनिर्धारित किया, पुनर्विलोकन कार्यवाही को आदेश 47 नियम 1 के दायरे और क्षेत्र तक

सख्ती से पालना करना होगा - एक त्रुटिपूर्ण निर्णय और अभिलेख पर स्पष्ट त्रुटि के बीच स्पष्ट अंतर है - जबकि पहले को उच्च मंच द्वारा शुद्ध किया जा सकता है, दुसरे को केवल पुनर्विलोकन क्षेत्राधिकार के प्रयोग शुद्ध किया जा सकता है - पुनर्विलोकन में किसी गलत निर्णय को "पुनः सुनना और सुधारना" स्वीकार्य नहीं है - पुनर्विलोकन याचिका का एक सीमित उद्देश्य होता है और इसे "छिपी हुई अपील" बनने के अनुमति नहीं दी जा सकती - मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए पुनर्विलोकन याचिका का सहारा लेना स्वीकार्य नहीं था।

तुंगभद्रा इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम.आंध्र प्रदेश सरकार, [1965] 5 एस. सी. आर. 174; श्रीमती मीरा भंजिया बनाम श्रीमती निर्मला कुमारी चौधरी, [1995] 1 एस. सी. सी. 170 और अभिराम तेलेश्वर शर्मा बनाम अभिराम पिशक शर्मा और अन्य, [1979] 4 एस. सी. सी. 389 - भरोसा किया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील संख्या 5245/ 1997

सी. आर. पी. संख्या 5/ 1989 में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 6.3.97 से।

रणजीत कुमार और सुश्री अनु मोहला, अपीलार्थियों के लिए।

एम.एल.भाट और सुश्री पूर्णिमा भाट काक, प्रतिवादियों के लिए।

न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश दिया गया थाः

विशेष अवकाश द्वारा यह अपील जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश (जी. डी. शर्मा, जे.) द्वारा आदेश 47 नियम 1 सी. पी. सी. के तहत पुनर्विलोकन अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए 6.3.1997 को पारित आदेश प्रश्नगत है। विद्वान न्यायाधीश ने उस न्यायालय के एक अन्य एकल न्यायाधीश (के. के. गुप्ता, जे.) द्वारा सिविल पुनरीक्षण संख्या 87/ 1987 में 25 अप्रैल, 1989 को दर्ज किए गए निष्कर्षों को 'परेशान' कर दिया।

विवरण से हटकर, इस अपील के निपटारे के लिए आवश्यक संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि 28 नवंबर, 1977 को अपीलकर्ताओं द्वारा दायर एक दावे को डिक्री किया गया था और प्रतिवादी-प्रत्यर्थियों को दीवार से एक दरवाजा खोलकर बनाए गए मार्ग को बंद करने के लिए एक निषेधाज्ञा जारी की गई थी और आगे प्रतिवादियों को उस मार्ग का उपयोग करने से रोक दिया गया था। 7 अगस्त, 1986 को डिक्री के निष्पादन के लिए एक आवेदन निष्पादन न्यायालय के समक्ष इस आधार पर दायर किया गया था कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया जा रहा था। निर्णय देनदार ने निष्पादन आवेदन पर आपत्तियां दायर कीं और इस प्रभाव पर प्रारंभिक आपत्ति जताई कि निष्पादन आवेदन परिसीमा वर्जित था। निष्पादन न्यायालय ने 6 मई, 1987 के आदेश के माध्यम से प्रारंभिक आपत्ति को बरकरार रखा और निष्पादन आवेदन को परिसीमा वर्जित माना। यह मामला उच्च

न्यायालय में पुनरीक्षण में उठाया गया था। 25.4.1989 को निष्पादन न्यायालय के आदेश के खिलाफ सिविल पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार किया गया। गुप्ता, न्यायाधिपति ने सिविल पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि मामला जम्मू और कश्मीर परीसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 181 के अंतर्गत आता है और निष्पादन न्यायालय की राय कि यह जम्मू और कश्मीर परीसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 182 के अंतर्गत आता है, गलत थी। यह अभिनिर्धारित किया गया कि याचिका परिसीमा वर्जित नहीं थी। निष्पादन आवेदन को गुण-दोष पर निर्णय के लिए निष्पादन न्यायालय में भेज दिया गया था। निर्णय देनदारों द्वारा एक पुनर्विलोकन याचिका दायर की गई और 6.3.1997 को पुनर्विलोकन याचिका को शर्मा, न्यायाधिपति द्वारा स्वीकार की गई और 25.4.1989 दिनांकित आदेश को अपास्त किया गया और निष्पादन न्यायालय आदेश दिनांकित 6.5.1987 को बहाल किया गया।

अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रंजीत कुमार ने कहा कि विवादित आदेश दूषित है क्योंकि यह आदेश 47 नियम 1 सी. पी. सी. के तहत न्यायालय को उपलब्ध पुनर्विलोकन की शक्तियों का उल्लंघन करता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि पुनर्विलोकन याचिका को एक अपील के रूप में माना गया था। उन्होंने पुनर्विलोकन आवेदन के आधारों

का भी उल्लेख किया और आग्रह किया कि उन आधारों में से किसी पर भी 25.4.1989 दिनांकित आदेश का पुनर्विलोकन उचित नहीं था।

दूसरी ओर प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एम. एल. भट ने कहा कि पुनार्विलोकित न्यायालय ने डिक्री के सही व्याख्या और मामले के तथ्यों पर परिसीमा अधिनियम के प्रासंगिक अनुच्छेद के आवेदन द्वारा केवल गुप्ता, जे. द्वारा की गई गलती को सही किया था और उस अभ्यास में कोई गलती नहीं की जा सकती थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि शर्मा, जे. ने सही रूप से गुप्ता, जे. का आदेश दिनांक 25.4.1989 को सही ढंग से अपास्त किया था और निष्पादन न्यायालय के आदेश दिनांक 6.5.1987 के आदेश को बरकरार रखा था।

हमने बार में उठाए गए संबंधित प्रस्तुतियों पर अपने विचारशील विचार दिए हैं।

दिनांक 25.4.1989 के आदेश के पुनर्विलोकन के लिए निर्णय देनदारों द्वारा दायर आवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि उसमें बताए गए किसी भी आधार को सख्ती से आदेश 47 नियम 1 सी. पी. सी. के परिवेश और दायरे में नहीं कहा जा सकता है। पुनर्विलोकन याचिका ने प्रभावी रूप से गुप्ता, जे. के आदेश की शुद्धता को किसी भी "अभिलेख पर स्पष्ट त्रुटि" की ओर इशारा किए बिना परिसीमा के सवाल पर चुनौती दी,

जिसका पुनर्विलोकन किया जा सकता था। शर्मा, जे. ने विवादित आदेश पारित करते हुए और गुण-दोष के आधार पर गुप्ता, जे. के आदेश को पलटते हुए आदेश 47 नियम 1 सी. पी. सी. के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग की सीमाओं की अनदेखी की हुई प्रतीत होती है।

यह सुस्थापित है पुनर्विलोकन कार्यवाही को आदेश 47 नियम 1 सी. पी. सी. के परिवेश और दायरे तक ही सीमित रखना होगा। तुंगभद्रा इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम.आंध्र प्रदेश सरकार, [1965] 5 एस. सी. आर. 174 में 186 पर इस न्यायालय ने राय दीः

> "हालाँकि, हम जिस बात से चिंतित नहीं हैं, वह यह है कि क्या सितंबर 1959 के आदेश में दिया गया बयान कि मामले में कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल नहीं था, वह यह कि "अभिलेख पर स्पष्ट त्रुटि" है। यह तथ्य कि पूर्ववर्ती अवसर पर न्यायालय ने तथ्यों की एक समान स्थिति पर अभिनिर्धारित किया कि कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न हुआ है, स्वयं निर्णायक नहीं होगा, क्योंकि पूर्ववर्ती आदेश स्वयं ही गलत हो सकता है। इसी तरह, भले ही कथन गलत था, यह अनुसरण नहीं करेगा कि यह एक "अभिलेख पर स्पष्ट त्रुटि" थी, क्योंकि एक अंतर है जो वास्तविक है, हालांकि यह हमेशा व्याख्या करने में सक्षम नहीं हो सकता

है, केवल एक गलत निर्णय और एक निर्णय के बीच जिसे "स्पष्ट त्रुटि" द्वारा दूषित किया जा सकता है। एक पुनर्विलोकन किसी भी तरह से एक छद्म अपील नहीं है जिसमें एक गलत निर्णय की फिर से सुनवाई और सुधार किया जाता है, लेकिन केवल पेटेंट त्रुटि के लिए निहित है।"

(हमारा जोर)

पुनः, श्रीमती मीरा भंजिया बनाम श्रीमती निर्मला कुमारी चौधरी, [1995] 1 एस. सी. सी. 170 में अभिराम तालेश्वर शर्मा बनाम अभिराम पिशक शर्मा और अन्य, [1979] 4 एस. सी. सी. 389 के एक अंश को अनुमोदन के साथ उद्धृत करते हुए, इस न्यायालय ने एक बार फिर कहा कि पुनर्विलोकन कार्यवाही अपील के माध्यम से नहीं है और इसे आदेश 47 नियम 1 सी. पी. सी. के परिवेश और दायरे तक सख्ती से सीमित किया जाना चाहिए।

आदेश 47 नियम 1 सी. पी. सी. के तहत एक निर्णय अन्य बातों के साथ-साथ पुनर्विलोकन के लिए खुला हो सकता है यदि अभिलेख पर कोई गलती या त्रुटि स्पष्ट है। एक त्रुटि जो स्वयं स्पष्ट नहीं है और जिसे तर्क की प्रक्रिया द्वारा पता लगाया जाना है, उसे शायद ही अभिलेख पर एक स्पष्ट त्रुटि कहा जा सकता है जो न्यायालय को आदेश 47 नियम 1 सी. पी. सी. के तहत पुनर्विलोकन की अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए

उचित ठहराती है। आदेश 47 नियम 1 सी. पी. सी. के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए किसी गलत निर्णय की "पुनः सुनवाई और सुधार" की अनुमति नहीं है। एक समीक्षा याचिका, यह याद रखना चाहिए कि इसका एक सीमित उद्देश्य है और इसे "भेष बदलकर अपील" करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

इस सुस्थापित स्थिति के आलोक में विचार करते हुए हम पाते हैं कि शर्मा, जे. ने स्पष्ट रूप से आदेश 47 नियम 1 सी. पी. सी. के तहत न्यायालय में निहित अधिकार क्षेत्र को परे कर दिया। शर्मा, जे. की टिप्पणियाँ कि "तदनुसार, प्रश्नगत आदेश का पुनर्विलोप्कन किया जाता है और यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि विचाराधीन डिक्री समग्र प्रकृति की थी जिसमें अनिवार्य और निषेधात्मक दोनों निषेधाज्ञाएँ प्रदान की गई थीं" और इस तरह यह मामला अनुच्छेद 182 द्वारा कवर किया गया था न कि अनुच्छेद 181 द्वारा, यह नहीं कहा जा सकता है कि यह आदेश 47 नियम 1 सी. पी. सी. के दायरे में आता है। अभिलेख पर एक गलत निर्णय और एक स्पष्ट त्रुटि के बीच एक स्पष्ट अंतर है। जबकि पहले को उच्च मंच द्वारा ठीक किया जा सकता है, बाद वाले को केवल पुनर्विलोकन अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करके ठीक किया जा सकता है। विवादित आदेश पारित करते समय, शर्मा, जे. ने सिविल पुनरीक्षण दिनांक 25.4.1989 में आदेश को एक गलत निर्णय के रूप में पाया, हालांकि इतने शब्दों में ऐसा

किए बिना। वास्तव में, आक्षेपित आदेश पारित करते समय, शर्मा, जे. ने अभिलिखित किया कि अभिलेख पर एक गलती या एक त्रुटि स्पष्ट थी जो ऐसी प्रकृति की नहीं थी, जिसका "कारणों की एक लंबी प्रक्रिया द्वारा पता लगाया जाना था" और गुप्ता, जे के आदेश को अमान्य करने के लिए आगे बढ़े। हालांकि, वैधानिक रूप से पवित्र वाक्यांशों का यांत्रिक उपयोग पुनर्विलोकन अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में पारित आदेश के वास्तविक महत्व से विचलित नहीं हो सकता है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में पुनर्विलोकन याचिका का सहारा लेना अनुमेय नहीं था। व्यथित निर्णय देनदार गुप्ता, जे. के आदेश को चुनोती देने और इसे अपास्त करने के लिए उचित कार्यवाही के माध्यम से उच्च मंच से संपर्क कर सकते थे, लेकिन उनके लिए पुनर्विलोकन याचिका में विस्तृत आधारों पर गुप्ता, जे. के आदेश का "पुनर्विलोकन" करने की अनुमति नहीं थी। मामले के इस दृष्टिकोण में, हमारी राय है कि शर्मा, जे. का विवादित आदेश को नहीं रखा जा सकता है और हम तदनुसार इस अपील को स्वीकार करते हैं और विवादित आदेश दिनांक 6.3.1997 को अपास्त करते हैं।

विवादित आदेश को अपास्त करने के परिणामस्वरूप, गुप्ता, जे. द्वारा दिया गया प्रतिप्रेषण आदेश स्वचालित रूप से पुनर्जीवित हो जाएगा, लेकिन हमारी राय में यह भी समस्या का समाधान नहीं करता है।

हम पाते हैं कि न तो निष्पादन न्यायालय और न ही गुप्ता, जे. ने सिविल पुनरीक्षण याचिका का निर्णय लेते समय उस तारीख या समय के बारे में कोई निष्कर्ष दर्ज किया है जब डिक्री का कथित रूप से उल्लंघन किया गया था। यह एक आवश्यक तथ्य था जिसे इस बात पर विचार करने से पहले निर्धारित किया जाना था कि क्या परीसीमा अधिनियम का अनुच्छेद 181 या अनुच्छेद 182 मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू होगा। इसलिए, पक्षों के बीच पूर्ण न्याय करने की दृष्टि से, हमें यह निर्देश देना उचित प्रतीत होता है कि निष्पादन न्यायालय गुण-दोष के आधार पर निष्पादन आवेदन का निर्णय करते समय इस पहलू पर भी विचार करेगा और एक निष्कर्ष वापस करेगा कि डिक्री धारक को कार्रवाई का कारण कब प्राप्त हुआ और फिर इस प्रश्न पर विचार करेगा कि परीसीमा अधिनियम का कौन सा अनुच्छेद मामले के तथ्यों पर लागू होता है, जो गुप्ता, जे. या शर्मा, डी. जे. द्वारा अपने आदेशों में किए गए किसी भी अवलोकन से अप्रभावित है। इस प्रश्न को प्रारंभिक आपत्ति के रूप में नहीं, बल्कि योग्यता के आधार पर अन्य सभी मुद्दों के साथ माना जाएगा। निष्पादन न्यायालय निष्पादन आवेदन का कानून के अनुसार गुण-दोष के आधार पर शीघ्रता से निस्तारण करेगा। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है, लेकिन लागत के बारे में कोई आदेश नहीं है।

टी एन ए।

अपील स्वीकार की गई।

<u>अस्वीकरण</u> - यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है । इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।